# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या 91/2016

1. राजपाल पुत्र ग्यासीराम जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. रामचरन पुत्र चन्दन जाति माली निबासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांटस

बनाम

1. रामबाबू पुत्र अमरचन्द
2. बहादुर पुत्र अमरचन्द नाबालिग जरिये रामबाबू जाति जाटव नि0 सूरौठ तह0 हिण्डौन
3. धर्मकोर बेवा अमरचन्द (मृतक)

3/1 अमरपति पुत्री उमरचन्द पत्नी सुरज्ञान जाटव निवासी सूरौठ

3/2 मुकेश पुत्री अमरचन्द पत्नी कमलसिंह जाति जाटव नि0 जाटव बस्ती हिण्डोनसिटी

3/3 सुनिता पुत्री अमरचन्द पत्नी हरकेश जाति जाटव, निवासी हाल जाटव बस्ती हिण्डौन

4. द्रोपा बेवा विश्राम
5. संजय पुत्र विश्राम
6. मु0 लक्ष्मी पुत्री विश्राम जाति जाटव निवासी कस्बा सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी
7. कमला बेवा पृथ्वीलाल जाति जाटव निवासी कस्बा सूरौठ
8. कविता नाबालिग जरिये माता कमला जाटव निवासी कस्बा सरोठ जिला करौली
9. सोनम नाबालिग जरिये माता कमला जाटव निवासी कस्बा सरोठ जिला करौली
10. सोनू नाबालिग जरिये माता कमला जाटव निवासी कस्बा सरोठ जिला करौली
11. रवि (हजफ) नाबालिग जरिये माता कमला जाटव निवासी कस्बा सरोठ जिला करौली
12. तहसीलदार, हिण्डौन सिटी जिला करौली।

रेस्पोडेन्टस

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 59/2009
निर्णय दिनांक 09.05.2016)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री श्याम लाल शर्मा
2. रेस्पोडेटान की ओर श्री रमेश चन्द गुप्ता

निर्णय — दिनांक 29.01.2020

30.1.20

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0न0 59/2009 निर्णय दिनांक 09.05.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1349 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2015 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है, मृतक प्रतिवादी नम्बर 3 व मृतक 4 के पिता किशनलाल व रामफूल के नाम खातेदारी थी जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2014 ल0 2017 में दर्ज है। साबिक खातेदार

Scanned by CamScanner

रामफूल के कोई संतान नहीं थी तो खातेदार रामफूल ने वादी नं0 1 व 2 के पिता व वादी नं0 3 के पति अमरचन्द को हिन्दू रीति रिवाज व धार्मिक पद्धति के अनुसार गांव के पंच पटेलान व बिरादरी के समक्ष गोद लिया था और वादी न0 1 व 2 के पिता व वादी न0 3 के पति अमरचंद को उसके प्राकृतिक पिता किशनलाल ने अपने लडके अमरचंद को रामफूल की गोद मे बैठा दिया और रामफूल ने अमरचंद को अपनी गोद मे बैठा कर अमरचंद को गोद लेना स्वीकार किया। यानि गिव एण्ड टेकन की सारी रस्मे पूर्णरूप से अदा की गई तथा नारियल बतासे बंटाये गये। उसी दिन ब्राहम्ण भोज एवं बिरादरी का भोजन रामफूल द्वारा कराये गये। उसी दिन से अमरचंद ने अपने प्राकृतिक पिता के समस्त अधिकारो को छोडकर अपने गोद के पिता रामफूल के यहॉ सारे अधिकार प्राप्त कर लिये और रामफुल के पास रहने लगा तथा उसकी सेवा सुश्रुषा करने लग गया। साबिक खातेदार किशनलाल व रामफुल दोनो सहोदर भाई थे और उन्होने आराजीयात मद न0 1 वादपत्र मे किशनलाल का 1/2 भाग व रामफुल का भी 1/2 भाग और आपसी बाहमी बंटवारा तौर पर बंटवारा कर रखा था। साबिक खातेदार रामफूल के 1/2 भाग पर वादी न0 1 व 2 का पिता व वादी न0 3 का पति अमरचंद काबिज हो गये और तभी से मृतक अमरंचद रामफुल के 1/2 हिस्से को बराबर आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है। साबिक खातेदार रामफूल व किशनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। वाद पत्र के मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात का सेटलमेंट विभाग ने नवीन ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0, 2331 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 कायम किये। सेटलमेंट ने बिना किसी अधिकार के बिना मौके की जॉच पडताल किये कानून का घोर उल्लंघन कर मृतक अमरचंद की गैर मौजूदगी मे ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 व ख0न0 2331 रकबा 0.37 है0 की खातेदारी अमरचंद,विश्राम व पृथ्वीलाल के 1/3, 1/3 ,1/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जबकि वास्तव मे उक्त आराजीयात मे अमरचंद का उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा व मृतक विश्राम व मृतक पृथ्वीलाल का 1/2 हिस्सा होना चाहिए था क्योकि अमरचंद 49 ऐयर जमीन पर काबिज व दखील था। मृतक प्रतिवादी न0 3 व 4 ने ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 मे से 40 ऐयर जमीन प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल को दिनांक 15.6.90 को बेच कर कब्जा मौके पर करा दिया। तभी से 40 ऐयर जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे नामा0 संख्या 4 दिनांक 15.6.90 के अनुसार ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 मे से 2/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो गई तथा बची हुई 20 ऐयर भूमि पर वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादी न0 3 के पति मृतक अमरचंद का कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। वादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी संख्या 3 के पति अमरचंद ने व मृतक प्रतिवादी न0 3 व 4 ने आरजीयात मद न0 5 वाद पत्र का विधिवत मौके पर बंटवारा कर रखा था जिसमे वादी न0 1 व 2 के पिता व वादी संख्या 3 के पति अमरचंद का ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 मे 20 ऐयर पर, ख0न0 2331 रकबा 0.37 है0 में से 0.29 है0 पर यानि कुल वादीगण का 0.49 है0 भूमि हिस्से मे आयी तथा ख0न0 2331 मे से 0.08 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मृतक के हिस्से मे आयी

30.1.20
अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

और बंटवारा करीब 25 साल पूर्व किया गया था और उसी अनुसार मोके पर काबिज काश्त है। अमरचंद के वाद उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का आज तक नही है। ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 में से वादीगण अपने हिस्से 0.20 है0 भूमि को यादराम पुत्र मंगल कोली को बेचकर मौके पर यादराम का कब्जा करा दिया यानि ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 से वादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन को जबरन कब्जा करने पर आमादा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती की आड मे वादीगण को भूमि से बेदखल करने एवं बेचान करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि का बंटवारा कराने की कहॉ तो उन्होने साफ इंकार कर दिया। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अपीलांट/दावा प्रतिवादी खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित कर देने से व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत तथ्य व परिस्थितियों के विपरीत व रूयेदाद होने के फलस्वरूप अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायाल में मु0 सावित्री पत्नी गिर्राज जाटव द्वारा एक दरख्वास्त अन्तर्गत आर्डर 1 रूल 10 जाब्ता दीवानी दिनांक 19.09.2014 को पेश की थी जिसका कोई निस्तारण नहीं किया और सीधे तौर पर दावा डिग्री फरमाकर भारी कानूनी भूल की है। वादपत्र के मद नं0 1 व आदेश के पैरा 1 में आराजीयात साबिक ख0नं0 1349 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 2015 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी किशन व रामफूल के नाम होना दर्ज किया है उसके बाद रेवन्यु रिकोर्ड का क्या हुआ आदेश महज आराजी मोजूदा ख0नं0 2331 रकबा 37 एयर के बाबत पारित किया है। बाकी जमीनो का क्या हुआ किसकी खातेदारी में है, वाद पत्र व आदेश में कुछ भी अंकित नहीं है। इसलिए वाद में आदेश कतई पोसीदा तौर पर करवाया जाना भली प्रकार साबित है। तथाकथित गोद पत्र ना ऐग्जिटिग्स में है ना ही वादीगण द्वारा गोद जाने का कोई लिखित प्रमाण है। महज कहने मात्र से गोद मान लेना विधिक सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। गोद लेने की सत्यता को सक्षम सिविल न्यायालय से डिसाइड बनावाऐ बिना आदेश अदालत मातहत अवनीसियो बोईड व शून्य प्रभावी है। अपास्त फरमाये जाने योग्य है क्योंकि गोद लेने व देने वाले तथ्य के निस्तारण का अधिकार महज सिविल न्यायालय को है। आराजी ख0नं0 2331 रकबा 37 एयर के किसी भाग पर वादी रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं है, ऐसी स्थिति में कब्जा के अभाव में आदेश अदालत मातहत अपास्त योग्य है। अदालत मातहत आराजी ख0नं0 2331 रकबा 37 एयर के 29/37 हिस्से तक ही पारित किया है। शेष 8/37 हिस्से का क्या हुआ किसका रहेगा। आदेश में अंकित ही नहीं है। आराजी ख0नं0 2331 के

30.1.20
अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड बयनामा हो चुके है जिनके चलते आदेश शून्य प्रभावी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टांत 2018 (2)डी.एन.जे. राज. पेज 421 व ए.आई.आर. 1996 उडीसा पेज 38 पेश किये है।

रेस्पो० के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1349 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 2015 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है, मृतक प्रतिवादी नम्बर 3 व मृतक 4 के पिता किशनलाल व रामफूल के नाम खातेदारी थी जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2014 ल0 2017 में दर्ज है। साबिक खातेदार रामफूल के कोई संतान नहीं थी तो खातेदार रामफूल ने वादी नं0 1 व 2 के पिता व वादी नं0 3 के पति अमरचन्द को हिन्दू रीति रिवाज व धार्मिक पद्धति के अनुसार गांव के पंच पटेलान व बिरादरी के समक्ष गोद लिया था और रेस्पो० न0 1 व 2 के पिता व रेस्पो० न0 3 के पति अमरचंद को उसके प्राकृतिक पिता किशनलाल ने अपने लडके अमरचंद को रामफूल की गोद मे बैठा दिया और रामफूल ने अमरचंद को अपनी गोद मे बैठा कर अमरचंद को गोद लेना स्वीकार किया। यानि गिव एण्ड टेकन की सारी रस्मे पूर्णरूप से अदा की गई तथा नारियल बतासे बंटाये गये एवं उसी दिन ब्राहम्ण भोज एवं बिरादरी का भोजन रामफूल द्वारा कराये गये। उसी दिन से अमरचंद ने अपने प्राकृतिक पिता के समस्त अधिकारो को छोडकर अपने गोद के पिता रामफूल के यहॉ सारे अधिकार प्राप्त कर लिये और रामफूल के पास रहने लगा तथा उसकी सेवा सुश्रुषा करने लग गया। साबिक खातेदार किशनलाल व रामफूल दोनो सहोदर भाई थे और उन्होने आराजीयात मद न0 1 वादपत्र मे किशनलाल का 1/2 भाग व रामफूल का भी 1/2 भाग और आपसी बाहमी बंटवारा तौर पर बंटवारा कर रखा था। साबिक खातेदार रामफूल के 1/2 भाग पर वादी न0 1 व 2 का पिता व वादी न0 3 का पति अमरचंद काबिज हो गये और तभी से मृतक अमरंचद रामफुल के 1/2 हिस्से को बराबर आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है। साबिक खातेदार रामफूल व किशनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। वाद पत्र के मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात का सेटलमेंट विभाग ने नवीन ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0, 2331 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 कायम किये। सेटलमेंट ने बिना किसी अधिकार के बिना मौके की जॉच पडताल किये कानून का घोर उल्लघन कर मृतक अमरचंद की गैर मौजूदगी मे ख0न0 2238 रकबा 0.61 है0 व ख0न0 2331 रकबा 0.37 है0 की खातेदारी गलत दर्ज कर दी, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष की और से साक्ष्य कराये जाने के पश्चात प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। न्यायिक दृष्टांत 1976 आई.एल.आर. पेज 201 प्रस्तुत किये है।

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली) द्वारा अपीलाधीन निर्णय मुकदमा संख्या 59/2009 में दिनांक 09.05.2016 को पारित किया गया है। रामफूल के कोई संतान नहीं होने के कारण अमरचन्द को रीति रिवाज अनुसार गोद लिये जाने का बिन्दु सम्मलित है। स्वतन्त्र गवाह गिर्राज पुत्र परमा जाति जाटव का शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अमरचंद को मिति जेठ बुदी 2 सम्वत् 2027 को गोद लिया जाना बताया है। शपथ पत्र में गिर्राज की उम्र 70 वर्ष बतायी गयी है व शपथ पत्र पत्रावली पर दिनांक 22.6.10 को प्रस्तुत हुआ है। अमरचंद को गोद लेने के समय उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष रही है। दिनांक 28.8.2012 की आदेशिका मे लिखित है कि गवाह रामखिलाडी, गिर्राज उपस्थित है। वकील प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया कि वो प्रतिवादीगण की और से पैरवी करना नही चाहते है। इसलिए गवाह जिरह नही हो सकती। साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। आदेशिका पर रामखिलाडी, गिर्राज के हस्ताक्षर है। गवाह उपस्थित होने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर संदेह भी नही किया जा सकता। पत्रावली पर इसके विपरीत साक्ष्य भी उपलब्ध नही है। पत्रावली पर उपलब्ध अमरचंद की मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी अमरचंद के पिता का नाम रामफूल जाटव लिखित है। आराजी के राजस्व रिकार्ड मे बेचान आदि के बारे मे विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विवेचन किया है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 122/03 उनवानी रामबाबू वगै0 बनाम राजपाल वगै0 के निर्णय दिनांक 31.5.04 के आदेशित किया है कि " गैरसायल संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गैर सायल संख्या 2 दौराने दावा ग्राम सुरोठ की आराजी ख0न0 2331 रकबा 29 ऐयर पर सायलान के कब्जे काश्त मे कोई मजाहमत मदाखलत ना स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे " इस आदेश मे विवादित आराजी के ख0न0 2331 के रकबा 29 ऐयर पर रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरान्त पारित किया है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के मु0न0 59/2009 निर्णय दिनांक 9.5.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.1.20

( बी. एल. रमण )
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 17:44:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: